न्यायालय SDO बसवा
अमरसिंह गुर्जर बनाम अधि० अभि० J.V.V.N.L
प्र०सं० 22/2023 अन्तर्गत धारा 133 जा०फौ०

(5)

न्यायालय उप जिला कलेक्टर व उप जिला मजिस्ट्रेट बसवा (दौसा) राज.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म में जा[illegible]
3/1/24	माननीय न्यायालय अपर जिला व सेशन न्यायाधीश संख्या-01 बांदीकुई द्वारा निगरानी प्रकरण अधिशाषी अभियंता वगै. बनाम अमरसिंह को फौजदारी प्रकरण संख्या 1/2024 में न्यायालय हाजा की मूल पत्रावली न्यायालय श्रीमान् से आगामी तारीख पेशी 10-1-24 से पूर्व पत्रावली भिजवाने के निर्देश दिये हैं। पत्रावली उक्त पत्र के क्रम में न्यायालय अपर जिला व सेशन न्यायाधीश महो. संख्या-01 बांदीकुई को भिजवाई जावे। उपखण्ड अधिकारी बसवा (दौसा)	
2.5.2024	पत्रावली तारीख पेशी से गिरकर आज पेश हुई। माननीय अपर जिला व सेशन न्यायालय बांदीकुई को उनके द्वारा पत्रांक 02/2.1.2024 के द्वारा चाही गई यह पत्रावली "अमरसिंह बनाम अधिशाषी अभियंता" को, उनके द्वारा पत्रावली उक्त को पत्र क्रमांक 19 दिनांक 17.1.2024 के द्वारा वापिस लौटाते हुए निर्देश दिये है कि उक्त पत्रावली की भविष्य में जब कभी जरूरत होगी वापिस मंगवा ली जावेगी। अतः मूल [illegible] कार्यालय को प्रेषित है। उक्त पुनः प्राप्त [illegible] बनाम अधिशाषी अभियंता में आज दिनांक 2.5.2024 को एडवोकेट श्री अनील [illegible] भट्ट एवं श्री सुशील मिश्रा ने उपस्थित होकर अधि[illegible] अभियंता जयपुर वि. वि. नि. लि. की ओर से वकालतनामा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी पक्ष की ओर से उनके एडवोकेट श्री अखिल कुमार भट्ट द्वारा उप जिला मजिस्ट्रेट बसवा (दौसा)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.05.24 17:00:12 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधि. एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट बसवा ।दौसा।
प्रकरण उनवान :- अमरसिंह बनाम अधि. अभियंता ज. वि. वि. नि. लि.
प्रकरण अंतर्गत धारा 133 जा. फौ., प्रकरण संख्या 22/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज -2-	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एक प्रा. पत्र पेश किया है, जिसे शामिल मिसल किया गया । प्रस्तुत प्रा. पत्र के अनुसार न्यायालय हाजा द्वारा इस प्रकरण अमरसिंह बनाम अधिशाषी अभियंता मुकदमा संख्या 22/2023 में धारा 133 जा. फौ. के तहत दिनांक 22.11.23 को अप्रार्थीगण के विरूद्ध आदेश पारित किये थे । उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलीय न्यायालय माननीय एडीजे संख्या 01 में निगरानी पेश की गई थी । अपीलीय न्यायालय एडीजे 91 बांदीकुई द्वारा इस निगरानी में न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 22.11.2023 को अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक 24.4.2024 को निर्णय प्रसारित करते हुए अपास्त कर दिया है । निर्णय की प्रति संलग्न है । साथ ही अप्रार्थीगण द्वारा इस प्रा. पत्र में यह भी अंकित किया है कि न्यायालय हाजा के आदेश की पालना में नवीन न्यायालय परिसर कौलाना में स्थित न्यायालय भवन के उपर से गुजर रही विद्युत लाइन को अन्यत्र शिफ्ट कर दिया है । ऐसी स्थिति में अपीलीय न्यायालय एडीजे 01 बांदीकुई द्वारा न्यायालय हाजा के पूर्ववर्ती निर्णय 22.11.2023 को अपास्त कर दिया है। संलग्न अपीलीय न्यायालय के निर्णय की प्रति का भी अवलोकन किया, जिससे स्पष्ट है कि "विचारण न्यायालय" के आदेश की पालना होने से, प्रस्तुत निगरानी का कोई औचित्य नहीं रहने से, निगरानी को खारिज किया गया है । अतः उक्त प्रस्तुत प्रा. पत्र एवं संलग्न निर्णय प्रति के आधार पश्च इस प्रकरण में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं होने के कारण इस प्रकरण धारा 133 को फैसल/खारिज करके दाखिल दफ्तर किया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो । उप जिला मजिस्ट्रेट बसवा (दौसा)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.05.24 17:00:12 IST
Reason: SelfAttested